



2026:AHC:178617

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29841 वर्ष 2026

धर्मेन्द्र @ परमानंद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : संजीव कुमार सिंह
विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

साथ में:

1 अन्य संबद्ध आपराधिक विविध जमानत आवेदन

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- चूंकि दोनों जमानत आवेदन एक ही मुकदमा अपराध संख्या से उत्पन्न हुए हैं, अतः दोनों की एक साथ सुनवाई की जा रही है तथा एक संयुक्त आदेश द्वारा उनका निस्तारण किया जा रहा है।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार सिंह तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
- प्रस्तुत जमानत आवेदन अपराध संख्या 158 सन् 2026, धारा 115(2), 352, 351(3), 103(1) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, थाना सिकरीगंज, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किए गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदकों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित हैं तथा आरोप के अनुसार लाठी से चोट पहुंचाकर उन्होंने सूचनाकर्ता की पत्नी की हत्या की, किंतु उनके विरुद्ध लगाए गए समस्त आरोप पूर्णतः असत्य हैं।

5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वास्तव में घटना हाथापाई के दौरान हुई तथा आवेदकों का मृतका की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं तथा शव-परीक्षण रिपोर्ट भी साक्षियों के कथनों की पुष्टि नहीं करती है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदकों का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वे वर्तमान मामले में 7.6.2026 से जेल में हैं।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया तथा प्रस्तुत किया कि आवेदकों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित हैं और आरोप के अनुसार उन्होंने लाठी से हमला किया, जिसके कारण सूचनाकर्ता की पत्नी को चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शव-परीक्षण रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतका के सिर पर दो चोटें आई थीं और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष हैं।

9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक केवल 7.6.2026 से ही जेल में हैं।

10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अतः मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आवेदकों के दोनों जमानत आवेदन निरस्त किए जाएं।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

12. आवेदकों के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित हैं और अभियोजन के अनुसार दोनों अभियुक्तों ने लाठी से चोट पहुंचाकर सूचनाकर्ता की पत्नी की हत्या की।

13. इसके अतिरिक्त, शव-परीक्षण रिपोर्ट से भी पता चलता है कि मृतका के सिर पर दो चोटें आई थीं और इसलिए प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक निर्दोष हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामले में आवेदक केवल 7.6.2026 से ही जेल में हैं।
15. अतः, ऊपर उल्लिखित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी दृष्टि में इस स्तर पर आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी नहीं हैं।
16. तदनुसार, वर्तमान दोनों जमानत आवेदन इस स्तर पर **निरस्त किए जाते हैं।**
17. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां दोनों जमानत आवेदनों के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

24 अगस्त, 2026

अंकिता

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।